



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 अग्रहायण 1939 (श0)
(सं0 पटना 1134) पटना, वृहस्पतिवार, 7 दिसम्बर 2017

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

28 नवम्बर 2017

सं० वि०स०वि०-30/2017-9243/वि०स०।—“बिहार विशेष सुरक्षा दल (संशोधन) विधेयक, 2017”, जो बिहार विधान सभा में दिनांक 28 नवम्बर, 2017 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
राम श्रेष्ठ राय,
सचिव।

[वि०स०वि०-26, 2017]

बिहार विशेष सुरक्षा दल (संशोधन) विधेयक, 2017

बिहार विशेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 (बिहार अधिनियम 8, 2000) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

यतः, राज्य में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्रियों एवं उनके अव्यवहित पारिवारिक सदस्यों को समुचित सुरक्षा प्रदान करने के विचार से **बिहार विशेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000** के प्रावधानों के अधीन विशेष सुरक्षा दल उपलब्ध किया गया है; और

यतः, विशेष सुरक्षा दल में 531 पदों के सृजन के कारण सभी पदाधिकारियों/कर्मियों पर प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण हेतु वर्तमान प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता है; और

यतः, **बिहार विशेष सुरक्षा अधिनियम, 2000** में निहित वर्तमान प्रावधान में राज्य सरकार द्वारा **समादेष्टा एवं उप समादेष्टा** के पदों की **नियुक्ति** के प्रावधान हैं, जो वर्तमान चुनौतीपूर्ण सुरक्षा परिदृश्य एवं दल के आकार में वृद्धि को देखते हुए पर्याप्त नहीं है;

इसलिए अब, **बिहार विशेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 (बिहार अधिनियम 8, 2000)** में संशोधन आवश्यक हो गया है।

भारत-गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में **बिहार राज्य विधान मंडल** द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।— (1) यह अधिनियम, **बिहार विशेष सुरक्षा दल (संशोधन) अधिनियम, 2017** कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम 8, 2000 की धारा-5 में संशोधन।— बिहार विशेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 की धारा-5 की उपधारा (2) एवं (3) क्रमशः निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएंगी :-

“(2) राज्य सरकार पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा), विशेष शाखा को विशेष सुरक्षा दल के प्रमुख के रूप में नामित करेगी।”

“(3) इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहन में पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा), विशेष शाखा की सहायता राज्य सरकार द्वारा यथानियुक्त एक पुलिस उप महानिरीक्षक (सुरक्षा), विशेष शाखा, एक समादेष्टा, उप समादेष्टाओं एवं सहायक समादेष्टाओं द्वारा की जाएगी।”

उद्देश्य एवं हेतु

बिहार राज्य के मुख्यमंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ एवं अक्षुण्ण रखने के लिए विशेष सुरक्षा दल अधिनियम, 2000 (बिहार अधिनियम 8, 2000) की धारा-5 में, विशेष सुरक्षा दल में 531 पदों के सृजन के कारण प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण को ध्यानगत रखते हुए, संशोधन की आवश्यकता समझी गई है। तदनुसार इस संशोधन विधेयक में आवश्यक प्रावधान किया गया है, जिन्हें अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(नीतीश कुमार)

भार-साधक सदस्य ।

पटना
दिनांक 28.11.2017

राम श्रेष्ठ राय,
सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 1134-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>